उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या:101/2017/2171/छप्पन-2017-41/2011

लखनऊ : दिनांक : 22 दिसम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ में पायलट (फिक्स्ड विंग) के पद पर संविदा के आधार पर कार्यरत कै0 पंकज सिंह, जिनकी संविदा अवधि दिनांक 05 जनवरी, 2020 तक है, द्वारा पत्र दिनांक 03 अक्टूबर, 2017 के माध्यम से अनुबन्ध-पत्र की शर्त के अनुसार 03 माह का नोटिस देते हुए दिनांक 02 जनवरी, 2018 से सेवामुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया था। तदुपरांत श्री पंकज सिंह द्वारा पत्र दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 के माध्यम से 03 माह के नोटिस अवधि को दिनांक 15 फरवरी, 2018 तक बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री पंकज सिंह द्वारा नोटिस दिनांक 03 अक्टूबर, 2017 व 01 दिसम्बर, 2017 के माध्यम से स्वयं को सेवा मुक्त किए जाने के अनुरोध पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल उनके त्याग-पत्र पर इस शर्त के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं कि दिनांक 15 फरवरी, 2018 के अपराह्न से कार्यमुक्त किए जाने के पूर्व निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा नागरिक उड्डयन विभाग एवं श्री पंकज सिंह के मध्य निष्पादित संविदा विषयक अनुबन्ध-पत्र की शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुरूप उन पर यदि कोई देनदारी है, तो उसे नियमानुसार जमा करा लिया जाए। साथ ही अपेक्षित अदेयता प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने के बाद ही उन्हें सेवामुक्त किया जाए।

सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

पृ0 संख्या-101/2017/2171(1)/छप्पन-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. उप महालेखाकार, ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
6. कै0 पंकज सिंह को उनके पत्र दिनांक 03 अक्टूबर, 2017 व पत्र दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 के सन्दर्भ में।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/कार्मिक-1
9. गार्ड बुक/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in